प्रेस नोट संख्या- 40

दिनांक 31.12.2025

सराहनीय कार्य अमेठी पुलिस

शातिर अभियुक्त मो0 वकील द्वारा चोरी एवं एनडीपीएस एक्ट (मादक पदार्थों के अवैध संव्यवहार) से अर्जित की गई सम्पत्ति जमीन (कीमत 10 लाख रुपये) थाना इन्हौना जनपद अमेठी पुलिस द्वारा की गई जब्त।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्रीमती अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी तिलोई श्री दिनेश कुमार मिश्रा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 31.12.2025 को मु0अ0सं0 32/25 धारा 23(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना इन्हौना जनपद अमेठी के अभियुक्त मो0 वकील पुत्र स्व0 शरीफ निवासी वार्ड कुरैशी मकान नंबर 123 थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी द्वारा चोरी एवं एनडीपीएस एक्ट (मादक पदार्थों के अवैध संव्यवहार) से अर्जित की गई 10 लाख रुपये की सम्पत्ति (जमीन) को थाना इन्हौना जनपद अमेठी पुलिस द्वारा जब्त किया गया। उक्त सम्पत्ति अभियुक्त द्वारा चोरी एवं एनडीपीएस एक्ट (मादक पदार्थों के अवैध संव्यवहार) से अर्जित की गई थी एवं अपने परिजनों के नाम से बनाई गई थी।

मो0 वकील एक शातिर अपराधी है जो गैंग लीडर के रूप में अपने साथियों के साथ मिलकर आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिये चोरी, मादक पदार्थों के अवैध संव्यवहार एवं समाज विरोधी क्रिया कलापों में संलिप्त है जिसके विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों पर चोरी, एनडीपीएस एक्ट व गैंगस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकृत हैं।

अभियुक्त का नाम व पता-

- मो0 वकील पुत्र स्व0 शरीफ निवासी वार्ड कुरैशी मकान नंबर 123 थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी।

जब्त की गई सम्पत्तिः-

- (10 लाख रुपये) विभिन्न स्थानों पर जमीन

पुलिस टीम-

1. श्री राकेश कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक मोहनगंज जनपद अमेठी मय टीम।
2. श्री विवेक कुमार सिंह थानाध्यक्ष इन्हौना जनपद अमेठी मय टीम।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 41/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी।
2. मु0अ0सं0 93/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना इन्हौना जनपद अमेठी।
3. मु0अ0सं0 226/24 धारा 03(2), 317(2) बीएनएस थाना जामो जनपद अमेठी।
4. मु0अ0सं0 32/25 धारा 23(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना इन्हौना जनपद अमेठी।